

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

--कार्यालय आदेश--

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित व्याख्याता-भौतिक (स्कूल शिक्षा) एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं --

S.NO	NAME	EMP. ID	PRESENT POSTING PLACE	DISTRICT	TRANSFERRED POSTING PLACE	DISTRICT	TA/DA APPLICABLE
1	ANIL KUMAR	RICR20111 2014296	BABA VISHVAMBHARDAS GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL HOD (219171)	SIKAR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GIDA (220601)	BARMER	YES
2	RAJENDRA KUMAR JAIN	RJPA20102 9000870	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL GUNDOJ (221460)	PALI	SHRI BANGUR GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PALI (221484)	PALI	NO
3	MADAN LAL YADAV	RJSK200533 019256	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AJITGARH (219363)	SIKAR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KHANDELA (219224)	SIKAR	NO

- संबंधित व्याख्याताओं का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से ही किया जावे।
- जिन व्याख्याताओं का परिवीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- RVRES व्याख्याताओं को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त / कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त, लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित एवं स्थानान्तरण पर पूर्व में न्यायिक स्थगन प्राप्त अधिकारियों के संबंध में उक्त आदेश का क्रियान्वयन ना कराते हुए तत्काल इस कार्यालय को अवगत करवाते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में नवपदस्थापित व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक को संबंधित कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हेतु आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें।

Ga

(गौरव अग्रवाल)

आई.एस.

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक - शिविरा/मा/संस्था/सी-1/मौगक/स्थानान्तरण-पदस्थापन/भौतिक/2022 दिनांक - 08/09/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है --

- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा) राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
- निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संबंधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा)/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्य), माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
- स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।
- अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश अनुसार अधिकारियों के कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति की कार्यवाही का प्रयोधन करें।
- संबंधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना कर शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावे।
- संबंधित व्याख्याता।
- रक्षित पत्रायली

Bd

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

कायालय । नदशक, माध्यामेक शल्ला राजस्थान, बीकानेर

—:कार्यालय आदेश:—

राजस्थान शल्ला सेवा के निम्नांकित व्याख्याता-भौतिक (स्कूल शल्ला) एवं समकक्ष स्तर के अधिकारियों के स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर तत्काल प्रभाव से किए जाते हैं —

S.NO	NAME	EMP. ID	PRESENT POSTING PLACE	DISTRICT	TRASFERED POSTING PLACE	DISTRICT	TA/DA APPLICABLE
1	PRAVEEN KUMAR	RJPA20132 9028644	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL BHORDA (221085)	JALOR	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHANDHANIYA BHAYLA (220272)	JODHPUR	NO
2	RAKESH KUMAR BHARIA	RJBM20050 5018473	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL SINGHANA (215903)	JHUNJHUNU N	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHANI BADHAN (215963)	JHUNJHUNU N	YES
3	DINESH KUMAR BHARDWAJ	RJDA19971 3006623	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AABHANERI (218018)	DAUSA	ANAND SHARMA GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL DAUSA (218124)	DAUSA	NO
4	PREETI GUPTA	RJDA20171 3010843	ANAND SHARMA GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL DAUSA (218124)	DAUSA	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL AABHANERI (218018)	DAUSA	YES

- संबधित व्याख्याताओं का कार्यग्रहण/कार्यमुक्ति आवश्यक रूप से शाला दर्पण के माध्यम से ही किया जावे।
- जिन व्याख्याताओं का परीक्षाकाल पूर्ण नहीं हुआ है उन्हें कार्यमुक्त/कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- RVRES व्याख्याताओं को नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका/शहरी पदस्थापन स्थानान्तरण पर कार्यमुक्त / कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे।
- राजस्थान सेवा नियम 1951 के नियम-144 "क" के तहत प्रतिनियुक्त, लम्बे समय से अनुपस्थित, निलम्बित एवं स्थानान्तरण पर पूर्व में न्यायिक स्थगन प्राप्त अधिकारियों के संबंध में उक्त आदेश का क्रियान्वयन ना कराते हुए तत्काल इस कार्यालय को अवगत कराते हुए नवीन निर्देश प्राप्त करेंगे।
- पद विरुद्ध वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक कार्यरत होने की स्थिति में नवपदस्थापित व्याख्याता को कार्यग्रहण करवाकर वरिष्ठ अध्यापक/अन्य कार्मिक को संबधित कार्यालय मुख्य ब्लॉक शल्ला अधिकारी हेतु आदेशों की प्रतीक्षा में कार्यमुक्त करें।

Ga

(गौरव अग्रवाल)

आई.एस.

निदेशक

माध्यमिक शल्ला राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक — शिविरा/मा/संस्था/सी-1/भौगक/स्थानान्तरण-पदस्थापन/भौतिक/2022 दिनांक — 06/09/22

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

- विशिष्ट सहायक, माननीय शल्ला मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शल्ला) राजस्थान, जयपुर।
- विशिष्ट सहायक, माननीया शल्ला राज्य मंत्री (प्रारंभिक एवं माध्यमिक शल्ला) राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शल्ला, राजस्थान, जयपुर।
- परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शल्ला परिषद, जयपुर।
- निदेशक, प्रारंभिक शल्ला राजस्थान, बीकानेर।
- संयुक्त शासन सचिव, शल्ला (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- संबधित संयुक्त निदेशक (स्कूल शल्ला)/मुख्य जिला शल्ला अधिकारी/प्रधानाचार्य डाईट/जिला शल्ला अधिकारी (मुख्या.) माध्यमिक/प्रारंभिक शल्ला/मुख्य ब्लॉक शल्ला अधिकारी।
- स्टॉफ ऑफिसर, निजी अनुभाग, निदेशक महोदय, कार्यालय हाजा।
- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
- अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण अनुभाग को प्रेषित कर लेख है कि आदेश अनुसार अधिकारियों के कार्यग्रहण/कार्यमुक्त की कार्यवाही का प्रबोधन करें।
- संबधित संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश की पालना कर शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करावे।
- संबधित व्याख्याता।
- रक्षित पत्रावली

Bd

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शल्ला राजस्थान

बीकानेर